MOHINDRA FASTENERS LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC064215

Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087

Website: www.mohindra.asia Email id: cs@mohindra.asia Phone: +91-11-46200400, 46200401 Fax: +91-11-25282667

FOStening Redefined

To,

The Head Listing & Compliance Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. (MSEI) Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No. C-62, G-Block Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai -400098

Ref:- Symbol- MFL, Series - BE

Sub: Newspaper advertisement of Notice of 25th Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

In continuation of our earlier intimation of 25th AGM of the company dated 26.08.2019 and Pursuant to Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we attach herewith a copies of Newspaper advertisements of Notice of 25th AGM, E-voting and Book Closure information published on 26.08.2019 in the "The Financial Express" and "Jansatta(Hindi)".

The newspaper publications are also available on our website i.e. www.mohindra.asia.

Kindly take the above information on record.

Thanking you,

Yours truly,

For and on behalf of Mohindra Fasteners Limited

(Nidhi Pathak)

Company Secretary & Compliance Officer

Date: 26/08/2019 Place: New Delhi

In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of Star Hotels Limited having its Registered Office at 11, Sunder Nagar, New Delhi-110003.

Notice is hereby given to the General Public that the company is intending to make an application to the Central Government under Section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a Private Limited Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 28.06.2019 to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director Northern Region 2nd Floor, Antodaya Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi - 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned

For Star Hotels Limited

Saeed Mustafa Shervani Date: 24.08.2019 Managing Director DIN: 00024390 Place : Delhi 11, Sunder Nagar New Delhi-110003

11, Sunder Nagar, New Delhi-110003.

Form No. INC-26 (Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
Before the Central Government Regional Director, Northern Region, New Delhi In the matter of sub-section (4) of Section 13 of

rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND RESURGENCE CAPITAL PRIVATE **LIMITED** (CIN: U67190DL2009PTC195109) having its Registered Office at

RZ-62K, STREET NO.-19 & 20 VASHISHT

Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of

PARK, PANKHA ROAD, NEW DELHI- 110046 Applicant Company / Petitione NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 09th August, 2019 to enable the company to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected

by the proposed change of the registered office o the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send registered post of his / her objections supported by an affidavit stating the nature of his her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within

Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office at the address mentioned DEIOW:-RZ-62K, STREET NO.-19 & 20 VASHISHT PARK, PANKHA ROAD, NEW DELHI- 110046

for & on behalf of Applicant
RESURGENCE CAPITAL PRIVATE LIMITED Date: 24.08.2019 KSHITIZ AGARWAL (Director)

(A) IDBI BANK

IDBI BANK LIMITED, Hazratganj Branch, 12 Rani Laxmi Bai Road,

The undersigned being the authorised officer of the IDBI Bank Limited under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 01/06/2019 calling upon the borrower Shri Nimesh Srivastava S/o Sanjay Srivastava Prop. M/s Trimurti Broadband and Cable Services to repay the amount mentioned in the notice being 12,04,099.54/- (Rupees Twelve Lakhs Four Thousand and Ninety Nine Rupees and Fifty Four Paise Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below, in exercise of powers conferred on him under subsection (4) of section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 19th day of August of the year 2019.

property will be subject to the charge of the IDBI Bank Limited for an amount of 12,03,870.54/- and interest thereon with effect from June 01, 2019.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

All that piece and parcels of land comprised in and forming part of immovable residential house situated at Flat No C-10/14, Ashray - 3, Sulabh Awas Yojana, Jankipuram Extension, Lucknow, U.P. - 226031 admeasuring 27.80 sg mt (carpet area) in the state of Uttar Pradesh together with undivided share in the land and all structures thereon and bounded as follows:

anything attached to the earth.

Place: Lucknow, Date: 22.08.2019 Authorised Officer, (IDBI Bank Limited)

Shriram City Union Finance Limited

Complex Bandra (E) Mumbai-400051, Regd. Office: 123, Angappa Naicken Street, Chennai-600001 Branch Office: 39/2/4, First Floor, Sky Tower, Sanjay Place, Agra-282002. Ph No. 022 42410400 E-mail: customercare@shriramcity.in

POSSESSION NOTICE

(For Symbolic Possession of Immovable property under Section 13(4) of SARFAESI Act) Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Shriram City Union Finance Limited (SCUF) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 28th May 2019 calling upon the M/s POPWORK OVERSEAS, Mr. Perminder Poptani, Mrs. Deepa Poptani, Mr. Ramesh Kumar Poptani, Mr. Sumit poptani Mrs. Priyanka Poptani, M/s Popwork International to repay the amount mentioned in the notice Rs. 2,46,15,857/- (Rupees Two Crore Forty Six Lakh Fifteen Thousand Eight Hundred Fifty Seven Only) as on 25th May 2019 with further interest and other contractua charges and penalties mentioned (hereinafter referred to as 'Said Dues') therein, within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower and others mentioned herein above having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and others mentioned herein above in particular and to the public in general that the Authorised Officer of Shriram City Union Finance Limited has taken Symbolic Possession of the property described herein below under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of said rules on the 22nd day of August of the year 2019

The Borrower/secured debtor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Shriran City Union Finance Limited for an amount of Rs. 2,46,15,857/- (Rupees Two Crore Forty Six Lakh Fifteen Thousand Eight Hundred Fifty Seven Only) as on 25th May 2019 as with further interest & other charges and interest thereon

The borrower's attention is invited to sub-section (8) of Section 13 in respect of time available to redeem the secured assets

Description of the Immovable Property: All that part and parcel of the property consisting of Industrial Property over the UPSIDC Plot No. B-15/1, Measuring area 2213.00 sq. meters, situated at Sikandra site A. Industrial Area Sikandra, Tehsil and Dist. Agra. Property Bound As:

East: - 12 Meter wide road No. 08 West: - Plot No. C-18 North: - Plot No. B-15/2 South:-Plot No. D-16

Date: 22-08-2019 Place: Agra Authorised Officer, Shriram City Union Finance Limited

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED Regd. Office: 11th Floor, Tower A. Peninsula Business Park, Ganpatrao TATA Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 CIN No.: U67190MH2008PLC187552

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY (As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the TATA Capital Housing Finance Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notices as mentioned below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the

The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules. The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the TATA Capital Housing Finance Limited for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets

Account No.	Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/	Amount as per	Possession
	Legal Representative(s)	Demand Notice	Date
	Mr. AvrinderSingh (Borrower) & Mrs. Simranjeet Kaur (Co-Borrower)		20-Aug-2019

Description of Secured Assets/Immovable Properties:- Property House measuring 200 Sq. Yards comprising Khasra No.17//12/2(6-9), 17//19(8-0), 17//22(7-2), 26//2(8-0), 26//3/1(6-6) as per mutation year 2011-2012 Khewat/ Khtauni No. 179/184/518 situated at Hira Colony, HR Enclave, Rakba Village Kasba @ Rurki, Tehsil and Distt Patiala, vide sale deed no. 3474, Zahid Bahi No.1, dated 15.06.2017 in the favor of Smt. Simranjeet Kaur W/o. Sh. Arvinder Singh, registered at the office of Sub Registrar Patiala. North: 2 Feet Wide Road, South: Property Of Negi G. East: Land Length 20', West: Property Of Other

For TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED DATE : 26-08-2019 PLACE: Patiala, Punjab **Authorised Officer**

Phone-011-47056876, 27550006 Email: prashantvihar.newdelhi@bankofindia.co.in

Prashant Vihar Branch, E-6, Prashant Vihar, Delhi-110085

र्वत और इंडिया BOI 🛪

Date: 20-08-2019, Place: New Delhi

date of receipt of the said notice.

(Rule - 8 (1)) POSSESSION NOTICE (for immovable property) Whereas, the undersigned being the authorized officer of Bank of India under the

Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 10-06-2019 calling upon the borrower Mr. Ram Kumar to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 17,79,664.12 (In words Seventeen lacs seventy nine thousand six hundered sixty four and Paisa twelve only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 20th day of August of the year 2019.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India, Prashant Vihar Branch for an amount Rs. 17,79,664.12 and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act. in respect of time available, to redeem the secured assets

Description of the Immovable Property

All that part and parcel of the property consisting of Property Shop No.1/3 CSC-5 Sector 3, Rohini, Delhi 110085 with roof rights., Bounded as : North - East - Shop No.4, North - West - Entry/Open space, South - East by Shop No.2, South - West - Open space

Prashant Vihar Branch, E-6, Prashant Vihar, Delhi-110085 Phone-011-47056876, 27550006 Email: prashantvihar.newdelhi@bankofindia.co.in वेत और इंडिया BOI 🛪 (Rule - 8 (1)) POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the authorized officer of Bank of India under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 01-05-2019 calling upon the borrower Shri Sandeep Kumar/ M/s Sandeep Scarp to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 7,21,316.16 for cash credit account (Rs. Seven Lacs Twenty One Thousand Three Hundered Sixteen and Paisa Sixteen Only) and Rs. 15,89,057.02 for Term Loan account (Rs. Fifteen Lacs Eighty Nine Thousand Fifty Seven & Paisa Two only) within 60 days from the

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 20th day of August of the year 2019.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India, Prashant Vihar Branch for an amount Rs. 7,21,316.16 for cash credit account (Rs. Seven lacs Twenty one thousand three hundered sixteen and Paisa sixteen only) and Rs. 15,89,057.02 for Term Loan account (Rs. Fifteen Lacs Eighty Nine Thousand Fifty Seven & Paisa Two only) and interest thereon.

The borrower attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act. in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

5, Sector 3, Rohini, Delhi 110085 with roof right., Bounded as : East - Shop No. 1, West

Road, South - Shop No. 3, North - Shop No. 5 & 6

All that part and parcel of the property consisting of Property Shop No. S-1/4, CSC-

Date: 20-08-2019, Place: New Delhi Authorised Officer, Bank of India

Place: Delhi

Date: 26th August, 2019

Authorised Officer, Bank of India

Hazratganj, Lucknow U.P. - 226001

APPENDIX IV [RULE 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the

C-10/13 First Floor Adjoining

C-10/24 Second Floor On the West by On the North by C-10/04 Ground Floor ogether with all buildings and structures thereon and all plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to

******** GIC HOUSING FINANCE LTD. CORPORATE OFFICE / HEAD OFFICE : GICHFL, National Insurance Building, 6th floor, J. T. Road, Next to Astoria Hotel, Churchgate, Mumbai, 400 020Tel.: (022) 2285 1765 / 66 / 67

Email: corporate@gichf.com Website: www.gichfindia.com Dehradun Branch Office Address: - 242/202 Inderlok Plaza. Ballupur Road Near By Ramada Hotel, Ph: 0135-2531187, 0135-2530703, Email: dehradun@gichfindia.com Website: www.gichfindia.com

DEMAND NOTICE

(IN PURSUANCE WITH SECTION 13 (2) OF THE SARFAESI ACT, 2002)

GIC HF LTD. has sanctioned loan to the following borrowers to purchase/construct residential premises by creating equitable mortgage and in favor of GIC HF LTD. The repayment of the loans is irregular and the accounts are finally classified as Non Performing Assets in accordance with directions and guidelines of National Housing Bank. GIC HF LTD. has therefore invoked its rights under section 13 (2) of the SARFAESI ACT, 2002 and called upon the borrowers to repay the total outstanding mentioned against each within 60 days from the date of

The following borrowers are again hereby called upon publicly to pay the total dues as mentioned against them plus the further charges & interest accrued till actual payment, within 60 days from today failing which GIC HF LTD. shall resort to all or any of the legal rights to take possession of the premises dispose it and adjust the proceeds against the outstanding amount.

The borrowers are also restrained from alienating or creating third party interest on the ownership of the said

SR. NO.	LOAN A/C NO NAME BORROWER	ADDRESS OF MORTGAGED PROPERTY	TOTAL O/S as on Demand Notice Date	DATE OF DEMAND NOTICE
1	UA0570600000022 Mr. Jitendra Singh Rawat Mrs. Beena Rawat	Plot No. 35, Khasra No. 1235, Area 204.55 sq. mtrs, coverage area 134.2 sq. Mtrs, at Mauza Ajabpur Kalan (Doon Ghati Sahakari Awas Samiti Ltd.) District Dehradun, Uttarakhand	2437901	08.02.2019
2	UA0570600000208 Mr. Sanjay Kumar Mrs. Anju	Land khata No. 81, Khasra No 336 Ka Min of (fasli 1416 to 1421) area 1792.40 sq.ft or 199.15 sq. gaj or 166.58 sq mtrs at Mauza Pondha, Pargana Pachwa Doon, Distt Dehradun, Uttarakhand.	2458464	08.02.2019
3	UA0570600000020 Mr. Anil Bansal Mrs. Neelam Bansal	Flat No.1" Floor (Without Roof Right) Area 86.16 Sq.Mtrs, Out of Khata No.1258 (Fasli -1416 to 1421), Khasra No.861 KA, Mauza-Niranjanpur, Pargana- Kendriyadun, Dist. Dehradun-248001, Uttarakhand	1022104	18.07.2019
4	UA0570600000156 Mr.Chayan Kumar Verma	Plot of 112.96 Sq. Mtrs, Out of Khata Khatauni No. 04, Khasra No.433 Ga, (Fasli-1414 to 1419), Mauza- Brahmanwala, Pargana- Pachhwadun, Distt. Dehradun- 248001, Uttarakhand	813377	18.07.2019
5	UA0570600000194 Mr. Dinesh Lal			18.07.2019

This notice has been also pasted on the outer door of the borrowers last known address and Property Address

For GIC Housing Finance Ltd.

Place : Dehradun Authorised Officer

MOHINDRA FASTENERS LIMITED

Fostening Redefined

CIN: L74899DL1995PLC064215

Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087 Website: www.mohindra.asia Email id: cs@mohindra.asia Phone: +91-11- 46200400, Fax: +91-11- 2528266

NOTICE OF THE 25™ ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that:

Date : 26.08.2019

 The 25" Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Saturday, the 21st September 2019 at 11:30 A.M. at Le Pacific Outdoor Catering Banquet, 31/35, Main Rohtak Road, Punjabi Bagh West, Opp. Metro Pillar No. 142, New Delhi-110026, to transact the business as detailed in the Notice of 25th AGM along with explanatory statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 dated 06th August, 2019.

The Notice of AGM together with the Explanatory Statement, Annual Report containing the Audited Financia Statements for the financial year 2018-19 have been sent to all the members at their registered address in the permitted mode. The e-mails for the same have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Registrar & Share transfer agent/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and on the website of the Company at www.mohindra.asia. Shareholders who have not received the same may download from the above mentioned websites or may request for the copy of the same to the Company at the e-mail id cs@mohindra.asia or by writing a letter at registered office. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report has been completed on Monday, August 26, 2019.

Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and subsequent amendments thereto and SEBI (LODR) Regulations, 2015, all the Members are hereby informed that the Company is pleased to provide e-voting facilities for casting the votes by the Members, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date Saturday, September 14, 2019, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM. All the members

Date and time of commencement of e-voting: From 09:00 A.M. Monday, September 16, 2019. . Date and time of end of e-voting: Up to 05:00 P.M. Friday, September 20, 2019.

 E-voting shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on September 20, 2019 and No E-voting available beyond that time and date.

iv. Benpose date for determining the list of members to whom Annual Report along with Notice of 25th AGM. Attendance Slip & Proxy Form dispatch was Friday, August 16, 2019.

v. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronics means is Saturday, September 14. 2019 and to determine the names of the shareholders who will be entitled to receive the final dividend, if approved at the AGM.

 The Company has appointed Mr. Anand Kumar Singh, Partner of M/s Anand Nimesh & Associates Practicing Company Secretaries as a Scrutinizer to scrutinize the voting process (Ballot Paper a well as Remote E-voting) in a fair and transparent manner.

Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 14, 2019, may obtain their user ID and password for remote e-voting from the Company's Registrar and Share Transfer Agent or NSDL. However, if the Member is already registered with NSDL for e-voting, then they can use their existing Login ID/ User ID and Password for casting the vote through remote e-voting

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990 or Email ID: evoting@nsdl.co.in or to Company Secretary of the company at 304 Gupta Arcade, Inder Enclave Delhi-Rohtak Road, New Delhi-110087, contact at 011-46200400 or email at cs@mohindra.asia or to Company's RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limited at +91- 11-40450193-97 or by email at admin@skylinerta.com .

At the venue of AGM, voting shall be done through ballot papers only and the Members attending AGM who have not casted their vote by Remote E-voting shall be entitled to cast their vote through Ballot Paper. The Members who have cast their vote by remote e-voting may participate in the AGM but shall not be entitled to vote again in the AGM.

NOTICE IS FURTHER given pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 (including rules) that the Register of Members & Share Transfer Books will remain closed from Sunday September 15, 2019 to Saturday September 21, 2019 (both days Inclusive) for the 25th AGM and to determine the names of the Members who will be entitled to receive Dividend. if approved at the AGM.

> By order of the Board For Mohindra Fasteners Limited Sd/-Nidhi Pathak

Company Secretary & Compliance Officer

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that due to certain unavoidable circumstances, the public auction (of pledged ornaments-NPA accounts) by our client M/s. Muthoot Finance Ltd. scheduled for 26th, 27th, 28th, 29th, 30th & 31st August, 2019 stands postponed and re-scheduled for 11th, 12th, 13th, 14th, 15th & 16th November, 2019 respectively. The place and time of public auction shall remain the same, as already notified to the concerned borrowers. In case of any clarification, the interested persons may contact the concerned branch office of our client. Kohli & Sobti Advocates,

A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024 Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886464, 7994452461.

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that due to certain unavoidable circumstances, the public auction (of pledged ornaments-NPA accounts) by our client M/s. Muthool Finance Ltd. scheduled for 26th, 27th, 28th, 29th & 30th August, 2019 stands postponed and re-scheduled for 21st, 22nd, 23rd, 24th & 25th October, 2019 respectively. The place and time of public auction shall remain the same, as already notified to the concerned borrowers. In case of any clarification, the interested persons may contact the concerned branch office of our client. Kohli & Sobti Advocates, A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024

Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886464, 7994452461.

PUBLIC NOTICE General public is hereby informed that due to certain unavoidable circumstances, the

public auction (of pledged ornaments-NPA accounts) by our client M/s. Muthoot Finance Ltd. scheduled for 27th, 29th & 31st August, 2019 stands postponed and re-scheduled for 15th, 17th & 19th October, 2019 respectively. The place and time of public auction shall remain the same, as already notified to the concerned borrowers. In case of any clarification, the interested persons may contact the concerned branch office of our client. Kohli & Sobti Advocates,

A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024 Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction

date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886464, 7994452461.

SCHEDULE II

FORM B

VTL (INDIA) LIMITED

PUBLIC ANNOUNCEMENT (Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy (Liquidation Process) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF

1	Name of corporate debtor	VTL (INDIA) LIMITED	
2	Date of incorporation of corporate debtor	05/02/1985	
3	Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	Registrar of Companies, Delhi	
4	Corporate identity number/limited liability identity number of corporate debtor	U99999DL1985PLC020062	
5	Address of the registered office and 52/124 Property No.124, Pocket-52, EPDP Colony, principal office (if any) of corporate debtor Chittranjan Park, Delhi-110019		
6	Date of closure of insolvency resolution process	26.03.2019	
7	Liquidation commencement date of corporate debtor	08.08.2019 (Copy of order received on 22.08.2019)	
8	Name, address, email address, telephone number and the registration number of the liquidator	Mr. Ashish Singh Reg No.: IBBNPA-002/IP-N00416/2017-18/11230 Add: Flat No. 515, Baghban Apartment, Sector- 28, Rohini, New Delhi - 110 042. E-mail ID: ashishsinghcs@gmail.com Mobile No: 9312680896	
9	Correspondence address of liquidator	Add: 407, Indraprakash Building, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Email ID: vtlindia.ip@gmail.com	
10	Last date for submission of claims	21.09.2019	

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal New Delhi has ordered the commencement of liquidation of the VTL (INDIA) LIMÍTED on 08.08.2019 (Order received on The stakeholders of VTL (INDIA) LIMITED are hereby called upon to submit a proof of their claims, on

or before 21.09.2019, to the liquidator at the address mentioned against item 9. The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Ashish Singh

Liquidator Date: 23.08.2019 Place: New Delhi

> NOTICE OF MEETING OF UNSECURED CREDITORS FORM NO. CAA.2 (Pursuant to Section 230(3) and Rule 6 and 7)

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL **DELHI BENCH** COMPANY SCHEME APPLICATION NO. CA(CAA) -109(ND) of 2019 In the matter of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)

2013 and Rules framed there under as in force from time to time; In the matter of Scheme of Arrangement between STIC Travels Private Limited, the Demerged Company and STIC GSA Services Private Limited, the Resulting Company

In the matter of Sections 230 to 232 other applicable provisions of the Companies Act,

and their respective shareholders STIC Travels Private Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956

having its registered office at G-55, Ground Floor, Connaught Circus, New Delhi - 110001 CIN: U74899DL1987PTC028889 ... Demerged Company. Notice is hereby given that by an order dated August 21, 2019 the Delhi Bench of the

unsecured creditors of the said Company for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the proposed demerger of the GSA business of the Demerged Company to the Resulting Company. In pursuance of the said order and as directed therein further, notice is hereby given that the meeting of the unsecured creditors of the Demerged Company will be held at Le Meridien Hotel, Ground Floor, 8, Windsor Place, Janpath, New Delhi on September 28, 2019 at 10.00 A.M (IST), at which time and place the said unsecured creditors are requested to attend. Copies of the said Scheme of Arrangement, and of the statement under Section 230 can be

obtained free of charge at the Registered Office of the Company. Persons entitled to attend

and vote at the Meetings, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the

prescribed form are deposited at the registered office of the Company G-55, Ground Floor, Connaught Circus, New Delhi - 110001 not later than 48 hours before the meeting. Forms of proxy can be had at the registered office of the Company The Tribunal has appointed Mr. V.P. Sharma (Mob - 9810144324, 7982480182) or in his absence, Mr. R.K. Sharma (Phone - 22721101, 22721895) as Chairperson for the meeting. The above mentioned Scheme of Arrangement, if approved by the meetings, will be subject

Place: New Delhi Date: 23.08.2019

WHEREAS

to the subsequent approval of the Tribunal.

Prianka Singh Company Secretary STIC Travels Private Limited CIN: U74899DL1987PTC028889 Registered office: G-55, Ground Floor, Connaught Circus, New Delhi - 110001 Tel: +91-11-46206600 Website: www.sticgroup.com; www.stictravel.com

Gurgaon Main Branch

548/1, Dayanand Colony, New Railway Road, Gurgaon (HARYANA)-122001

Appendix-IV [See Rule 8 (1)]

POSSESSION NOTICE

(For Immovable Property)

The Authorised Officer of Union Bank of India, Gurgaon Main Branch, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 had issued Demand Notices on 17-05-2019, calling upon the Borrower(s) namely, M/s Dakshya Iron & Steel Co., Shri Rajpal Yadav, Mrs Krishna and others, to repay the amount mentioned in the Notice being of Rs. 2,95,46,132.00 p. (Rupees Two crores Ninety five lacs Forty six thousand One hundred and Thirty two) only i.e. Rs. 53.57.595.00 (Rupees Fifty Three lacs Fifty Seven Thousand Five Hundred Ninety Five only) in the Housing Loan Account in the names of Krishna Devi & Others and Rs. 2,41,88,537.00 (Rupees Two Crores Forty One Lacs Eighty Eight Thousand Five Hundred and Thirty Seven only) in the Cash Credit Limit account in the name of M/s Dakshya Iron & Steel Co. together with interest within 60 days from the date of receipt of the said Notices. The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby

given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the said Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 20th Day of August 2019. The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby

cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Union Bank of India for an amount of Rs. 2,95,46,132.00 p. (Rupees Two crores Ninety five lacs Forty six thousand One hundred and Thirty two) only in the said accounts together with costs and interest as aforesaid.

The Borrower's attention is invited to the provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

Residential Property No 1785-P situated near Petrol Pump Sec 10 A Gurgaon in the name of Smt. Krishna Devi W/o Sh Rajpal Yadav. DATED: 20-08-2019 (AUTHORISED OFFICER) UNION BANK OF INDIA PLACE: Gurgaon



BUSINESS OFFERS



FRONTLINE SECURITIES LIMITED CIN: L65100DL1994PLC058837

Registered Office: M-6, IIT Floor, M-Block Market Greater Kailash- II. New Delhi -110048 Corporate Office: B-22, Sector -4, Noida -201301 Website: www.fslindia.com

Email id: secretarial@fsttechnologies.com Telephone: 0120-2534067, Fax: +91-120-2534111 NOTICE The provisions of Ind-AS are applicable to the

company for the first time starting from 1" April, 2019. By virtue of the SEBI Circular CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5" July, 2016, which provides that the Board Meeting for approving the quarterly results for the June quarter can be held till 14" September of that year and pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday,10" September, 2019 at 4:00 p.m. at the corporate Office of the Company situated at B-22, Sector-4, Noida-201003, inter alia-

to consider and approve the unaudited financial results of the Company as per Indian Accounting Standards (Ind-AS) for the quarter ended 30° June, 2019, including recast unaudited Ind-AS compliant financial results for the corresponding quarter ended 30th June, 2018 his information is also available on the website

website of stock exchange where the company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com). For Frontline Securities limited (Pooja Gupta) Place: Noida

Company Secretary

of the company viz. www.fslindia.com and the

NOTICE

Date: 26/08/2019

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another BEFORE THE CENTRAL

Corporate Affairs Regional Director Northern Region Delhi In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

GOVERNMENT Ministry of

AND In the matter of GREENBUCKS COMTRADE PRIVATE LIMITED (CIN: U97000UP2007PTC045139) having its registered office at S-12a, Plot

No.3, Aditya Mega City Vaibhav Khand

Indirapuram Gaziabad UP-201014 PETITIONER Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special National Company Law Tribunal (the "Tribunal") has directed a Meeting to be held of the resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on 28th January 2019 to enable the company to change

its Registered Office from "NCT of U.P"

· Any person whose interest is likely

to the "State of Delhi.

to be affected by the proposed change of he registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

S-12A, PLOT NO. 3, ADITYA MEGA CITY VAIBHAV KHAND, NDIRAPURAMGAZIABADUP201014 for and on behalf of GREENBUCKS COMTRADE PRIVATE LIMITED

Sandeep Jha (Director) DIN: 00710333 Add: Hanuman Mandir, Block 10A. East Patel Nagar, Delhi - 110008

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

epaper.financia press.com

रेलवे स्टेशनों पर जल्द मिलेगी कुल्हड़ में चाय

नई दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा)।

देश के प्रमुख रेल स्टेशनों, बस डिपो, हवाई अड्डों और मॉल में आपको जल्द ही कुल्हड़ वाली चाय पीने को मिल सकती है। केंद्रीय सडक परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रेल मंत्री पीयुष गोयल को इस संबंध में पत्र लिखा है। अभी वाराणसी और रायबरेली

स्टेशनों पर ही पकी मिट्टी से बने कुल्हड़ में चाय दी जाती है। गडकरी ने कहा कि मैंने पीयूष गोयल को पत्र लिखकर सौ रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ को अनिवार्य करने को कहा है। मैंने हवाई अड्डों और बस डिपो की चाय दुकानों पर भी इसे अनिवार्य करने का विचार है। हम कल्हड के इस्तेमाल के लिए मॉल को भी प्रोत्साहित करेंगे।

शाखा : प्रशान्त विहार, ई-6, प्रशान्त विहार, दिल्ली-110005 फोल : 011-47056876, 27550006 हैक अरुप इतिया BOI 🛪 ईंगेलः prashantvihar.newdelhi@bankofindia.co.in नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्री राम कुमार को मांग सूचना दिनांकित 10.06.2019 को जारी किया था जिसमें सचना में उल्लेखित राशि रु. 17,79,664.12 (रुपये सन्नह लाख उनासी हजार छः सौ चौसठ और पैसे बारह मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 20.08.2019 को लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने

के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, प्रशान्त विहार, नई दिल्ली-110058) के प्रभार वास्ते रु. 17,79,664.12 और ब्याज, लागत इत्यादि उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित

परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति दुकान नं. सीएससी--5, सैक्टर--3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित, छत के अधिकार सहित, चौहद्दी : उत्तर पूरब में - दुकान नं. 4, उत्तर पश्चिम में – प्रवेश / खुला स्पेस, दक्षिण पूरब में – दुकान नं. 2, दक्षिण पश्चिम में – खुला स्पेस दिनांक: 20.08.2019, स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

शाखा : प्रशान्त विहार, ई-६, प्रशान्त विहार, दिल्ली-।10005 फोन : 011-47056876, 27550006 fire after affects BOI इंमेलः prashantvihar.newdelhi@bankofindia.co.in नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बँक ऑफ इंडिया, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्री संदीप कुमार / मैसर्स संदीप स्क्रैप को मांग सूचना दिनांकित 01.05.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि कैश क्रेडिट हेत् रु. 7,21,316.16 (रुपये सात लाख इक्कीस हजार तीन सौ सोलह और पैसे सोलह मात्र) और ट्रम लोन हेतु रु. 15,89,057.02 (रुपये पंद्रह लाख नवासी हजार सत्तावन और पैसे दो मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भूगतान करने को कहा गया

कर्जदार राशि का प्रतिमुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदृद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 20.08.2019 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, प्रशान्त विहार, नई दिल्ली-110058) के प्रभार वास्ते कैश क्रेडिट हेतु रु. 7,21,316.16 (रुपये सात लाख इक्कीस हजार तीन सौ सोलह और पैसे सोलह मात्र) और ट्रम लोन हेत् रु. 15,89,057.02 (रुपये पंद्रह लाख नवासी हजार सत्तावन और पैसे दो मात्र) और ब्याज, लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

Bank of Baroda

(A Govt. Of India Undertaking)

सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति दुकान नं. एस-1/4, सीएससी-5, सैक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित, छत के अधिकार सहित, चौहद्दी : पूरब में -दुकान नं. 1, पश्चिम में — रोड, दक्षिण पूरब में — दुकान नं. 3, उत्तर में — दुकान नं. 5 और 6

दिनांक : 20.08.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

शीर्ष सात कंपनियों की बाजार हैसियत 86,880 करोड़ रुपए घटी

नई दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा)।

शीर्ष 10 घरेलू कंपनियों में से सात को बीते सप्ताह बाजार पूंजीकरण में सिम्मिलित तौर पर 86,879.7 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। एफएमसीजी कंपनी आइटीसी का बाजार पूंजीकरण इस दौरान सर्वाधिक कम हुआ।

आलोच्य सप्ताह के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण कम हुआ। टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण इस दौरान बढ़ा। इस दौरान आइटीसी का बाजार पुंजीकरण 20,748.4 करोड़ कम होकर 2,89,740.59 करोड़ रुपए, भारतीय स्टेट बैंक का 17,715.4 करोड़ गिरकर 2,41,946.22 करोड़ रुपए, एचडीएफसी बैंक का 17,335.3 करोड़ टूटकर

5,91,490.98 करोड़ रुपए और आइसीआइसीआइ बैंक का बाजार पूंजीकरण 15,084.5 करोड़ लुढ़ककर 2,55,484.91 करोड़ रुपए पर आ गया। एचडीएफसी का बाजार पूंजीकरण 9,921.2 करोड़ गिरकर 3,52,202.72 करोड़ रुपए, कोटक महिंद्रा बैंक का 5,155.85 करोड़ कम होकर 2,81,185.14 करोड़ रुपए और रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 919.16 करोड़ लुढ़ककर 8,08,836 करोड रुपए पर आ गया।

इस दौरान टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 31,538.79 करोड़ मजबूत होकर 8,43,367.22 करोड़ रुपए, इन्फोसिस का 11,746.94 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 3,44,419.45 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 7,176.31 करोड़ बढ़कर 4,02,512.28 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से टीसीएस शीर्ष पर बनी रही।

टुडे होम्स नोएडा के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा)।

प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता

टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या

की अनुमानित तिथि

स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दिल्ली-एनसीआर स्थित रीयल एस्टेट कंपनी टुडे होम्स नोएडा लिमिटेड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू

प्रपत्र बी

सार्वजनिक उद्घोषणा

ंदिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया)

विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]

बीटीएल (इंडिया) लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

पार्क, दिल्ली-110019

रतदद्वारा सचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली ने 8.8.2019 को (आदेश 22.08.2019 व

एतदुद्वारा बीटीएल (इंडिया) लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 9 में वर्णित पते पर

नाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्टॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमा<mark>ग</mark>

प्राप्त) बीटीएल (इंडिया) लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

(भारत सरकार का उपक्रम)

परिसमापक के पास 21.09.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

IBBI/IPA-002/IP-N00416/2017-18/11230

110001/ईमेल आईडीः vtlindiaip@gmail.com

पताः फ्लैट नं. 515, भगवान अपार्टमेन्ट, सेक्टर-28, रोहिणी, नः

दिल्ली-110042, ईमेल आईडीः ashishsinghcs@gmail.com

आशीष सिंह

परिसमापक

ई-नीलामी

सूचना

प्रयक्त, पताः ४०७. इन्द्रप्रकाश बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिर्ल्ल

की है। घर खरीदारों के एक समूह की याचिका पर यह कार्यवाही शुरू हुई है।

एनसीएलटी के प्रमुख न्यायमूर्ति एमएम कुमार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कंपनी का प्रबंधन संभालने के लिए एक अंतरिम निपटान पेशेवर की

नियुक्ति की है। घर खरीदारों को समय पर कब्जा देने में विफल रहने व बैंकों को बकाया ऋण का भगतान नहीं कर पाने के कारण जेपी इन्फ्राटेक सहित दिल्ली-एनसीआर की कई कंपनियां दिवाला

प्रक्रिया का सामना कर रही हैं। न्यायाधिकरण ने रीयल एस्टेट कंपनी की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि उसे उप्र रीयल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण की ओर से परियोजना पूरा करने के लिए चार साल का और समय मिल गया है। न्यायाधिकरण ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता अधिनियम (आइबीसी) के प्रावधान रीयल्टी कानून को निष्प्रभावी बना देते हैं।

एफपीआइ ने अगस्त में अब तक बाजार से 3,014 करोड़ रुपए की निकासी की

नई दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा)।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने घरेलू पूंजी बाजारों से इस महीने अब तक 3,014 करोड़ रुपए की निकासी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार द्वारा एफपीआइ पर कर-अधिभार हटाए जाने से वह वापस स्थानीय शेयर बाजारों में निवेश का रुख कर सकते हैं।

डिपोजिटरीज के आंकड़ों के अनुसार एक से 23 अगस्त के बीच एफपीआइ ने शेयर बाजारों से 12,105.33 करोड रुपए की निकासी की। लेकिन बांड बाजार में 9,090.61 करोड़ रुपए का निवेश इस तरह उन्होंने समीक्षावधि में घरेलू पूंजी बाजार (शेयर और बांड) से कुल 3,014.72 करोड़ रुपए की निकासी की है।

ग्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी और सह-संस्थापक हर्ष जैन ने कहा कि 15 कारोबारी सत्रों में से केवल दो सत्र में ही विदेशी निवेशकों ने शुद्ध लिवाली की। अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, ऊंची आय वाले निवेशकों पर बजट में कर की दर बढाने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत दरों में कटौती जैसे मिश्रित कारणों से एफपीआइ की शेयर बाजार में बिकवाली जारी रही।

आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए सरकार ने शुक्रवार को कई कदम उठाए जाने की घोषणा की थी। इसमें धनाढ्य घरेलु और विदेशी निवेशकों पर बजट में लगाए गए कर-अधिभार को वापस लेना अहम रहा। जुलाई में 2019-20 के बजट में यह प्रावधान किए जाने से पहले एफपीआइ देश में लगातार शुद्ध लिवाल बने हुए थे।

अर्थव्यवस्था को गति देने वाले कदमों के एलान का रहेगा बाजार पर प्रभाव

नई दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा)।

एफपीआइ को राहत देने और आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए सरकार के विभिन्न कदम उठाने की घोषणा से आगामी सप्ताह शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है।

विदेशी निवेशकों की मांग को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) पर लगाए गए कर-अधिभार को वापस ले लिया। इस अधिभार को इस साल जुलाई में पेश बजट में लगाया गया था। इस अधिभार को लगाए जाने के बाद से एफपीआइ ने जुलाई और अगस्त में घरेलू शेयर बाजारों से 3.4 अरब डॉलर यानी 24,500 करोड रुपए की निकासी की थी। इस निकासी से रुपए पर भी काफी दबाव बढ़ गया। पिछले हफ्ते यह डॉलर के मुकाबले 72 के स्तर तक नीचे चला गया।

कोटक सिक्योरिटीज में मूलभूत अनुसंधान के प्रमुख

रुस्मिक ओझा ने कहा कि एफपीआइ पर कर-अधिभार को वापस लेने की घोषणा भारतीय बाजारों के लिए सबसे सकारात्मक बात है। इससे बजट के बाद से जारी पूंजी निकासी रुकेगी। यह रुपए की मजबूती को भी सहायता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए धारणा मजबूत करने वाला कदम है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने वृद्धि को रफ्तार देने के लिए कई और कदमों की घोषणा की। इसमें स्टार्टअप को 'एंजल कर' से छूट देने, बिक्री संकट से जूझ रहे वाहन क्षेत्र के लिए कई राहतों वाला पैकेज देने और सरकारी बैंकों में अग्रिम तौर पर 70,000 करोड़ रुपए की पंजी डालने से विकल्प शामिल हैं।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि गिरते बाजार को संभालने के लिए एफपीआइ पर कर अधिभार हटाना बड़ी राहत है। इससे एफपीआइ की बिकवाली पर रोक लगने की उम्मीद बढी है। अब हम बाजार में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं।

खाद्य तेल की कीमतों में मिला-जुला रुख

नई दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी के बावजूद बीते सप्ताह देश में सस्ते आयात के कारण सरसों और बिनौला मिल डिलीवरी हरियाणा तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई जबकि त्योहारों की आहट के बीच स्थानीय मांग से पामोलीन और मूंगफली सहित कुछ अन्य खाद्य तेल कीमतों में तेजी आई।

बाजार सूत्रों ने कहा कि देश में त्योहारी मांग आने वाले दिनों में बढ़ने की संभावना है। मलेशिया से पाम तेल का आयात सरसों व अन्य तेलों के मुकाबले अधिक सस्ता है

जिसके कारण स्थानीय स्तर पर इसकी खपत लगातार बढ रही है। घरेल तेल कारोबारियों का मानना है कि सरकार को सस्ते आयात से स्थानीय कारोबारियों को संरक्षित करना चाहिए। विशेषकर सरसों खेती करने वाले किसान इस सस्ते आयात से परेशान हैं। दूसरी ओर वायदा बाजार में सट्टेबाज सरसों की बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम लगा रहे हैं जिससे किसान दोहरी मार झेलने को अभिशप्त हैं।

पिछले सप्ताह सस्ते आयात के कारण सरसों पक्की और कच्ची घानी के भाव क्रम से 1,290-1,590 और 1,490-1,640 रुपए प्रति टिन पर अपरिवर्तित बंद हुए जबिक मुंगफली मिल डिलीवरी गुजरात और मुंगफली साल्वेंट रिफाइंड के भाव क्रम से 250 और 15 रुपए का सुधार दर्शाते 11,500 और 1,885-1,925 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुए। स्थानीय कारोबारियों की साधारण मांग की वजह सोयाबीन मिल डिलीवरी इंदौर और सोयाबीन डिगम के भाव क्रम से 30 और 20 रुपए के सुधार के साथ 7,950 और 7,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुए।

अन्य खाद्य व अखाद्य तेलों सहित मक्का खल के भाव पूर्व सप्ताहांत के स्तर पर ही यथावत बंद हुए।

फार्म नं. आईएनसी-26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के

समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी

अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन)

नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले

रिसर्जेस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U67190DL2009PTC195109)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : आरजेड-62के,

स्ट्रीट नं. 19 और 20 वशिष्ट पार्क, पंखा रोड,

नई दिल्ली-110046 में हैं, के मामले में

तदुद्वारा जनसामान्य को सुचित किया जाता है कि कम्पनी ने

हम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी वे

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेत् पुष्टिकरण

हे लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तृत करने का प्रस्ताव किया

, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी

को सक्षम करने हेत् **09 अगस्त, 2019** को आयोजित बैठक में

पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकत कार्यालय के

प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए

आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित्

विपक्ष के आधार हों. एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)

पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करे या क्षेत्रीय निदेशक

उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल

पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली -110003

को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी

प्रावेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **आरजेड-62के,**

स्ट्रीट नं. 19 और 20 वशिष्ट पार्क, पंखा रोड़, नई दिल्ली-

110046 पर इस सूचना के छपने के 14 (बौदह) दिनों के

कृते रिसर्जेस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड दिनांकः 24 अगस्त 2019 क्षितिज अग्रवाल (निदेशक)

सीआईएन : L65100DL1994PLC058837

पंजी. कार्यालय : एम-६, हितीय तल, एम-ब्लॉक

मार्केट, ग्रेटर कैलाश-।।, नई दिल्ली-110048

कार्पोरेट कार्यालय : बी-22, सेक्टर-4, नोएडा- 201301

वेबसाइट : www.fslindia.com

ई-मेल : secretarial@fsltechnologies.com

फोन : 0120-2534067 फैक्स : +91-120-2534111

भाईएनडी-एएस के प्रावधान 01 अप्रैल, 2019 से

कम्पनी पर सर्वप्रथम बार लागू हुए हैं। सेबी सर्कुलर

सीआईआर / सीएफढी / एफएसी / 62 / 2016

दिनांकित 05 जुलाई, 2018 के आधार पर, जिसमें

व्यवस्था दी गई है कि जून तिमाही हेत् तिमाही

परिणामों के अनुमोदन हेतु बोर्ड की बैठक उस वर्ष के

14 सितम्बर तक आयोजित की जा सकती है और सेबी

सुचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)

विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के अनुसरण में

हम यह सूचित करने के इच्छुक हैं कि कम्पनी के

निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 10 सितम्बर,

2019 को अप. 4.00 बजे को कम्पनी के बी–22, सेक्टर

-४, नोएडा- 201303 स्थित कार्पोरेट कार्यालय में

आयोजित की जानी नियत है, जिसमें अन्य के साथ —

30 जून को समाप्त तिमाही हेतु भारतीय लेखांकन

मानक (आईएनडी-एएस) के अनुसार कम्पनी के

अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, जिसमें 30 जून,

2018 को समाप्त संगत तिमाही हेतु पुनर्गठित

अलेखापरीक्षित आईएनडी-एएस अनुसारी वित्तीय

परिणाम सम्मिलित हैं, विचारित और अनुमोदित

पह सूचना कम्पनी की वेबसाइट नामतः

हस्ता./-(पूजा गुप्ता)

फ्रांटलाइन सिक्योरिटीज

लिमिटेड

डाआइएनः 01768123

स्थानः नई दिल्ली

'उत्तर प्रदेश राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया ।

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 12.09.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी। आरक्षित मूल्य (रु.) बकाया राशि सम्पत्ति का सम्पत्ति का विवरण ई-नीलामी की कर्जदार /गारंटर घरोहर राशि घारा 13(2) के अंतर्गत तारीख एवं समय का नाम सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पूर्ण भूतल, बेसमेंट की प्रस्ताव में सुघार हेतु राशि मांग सूचना की तारीख व समय बनाने के अधिकार के साथ, साथ में 50% भूमि का अविभाजित 07-09-2019 ₹ 16.50 करोड मैसर्स एम के 12-09-2019 08.10.2018 अविभाज्य और भूमि के नीचे के हिस्से में निहित फ्रीहोल्ड अधिकार के ओवरसीज प्रा. लि. क्षेत्रफल 330 वर्ग गज, सम्पत्ति नं. 72, भूतल ब्लॉक नं. 205बी, जिसे अब ₹ 1.65 करोड को अर्पाह 03.00 बजे 1.00 बजे से रु. 239.40 करोड 22, सेंट्रल लेन कहते हैं, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति मो. कामिल (सीआईएन U25209DL से अपींड 04.00 बजे अपांड 04.00 ₹ 5.00 लाख (गारंटर) पुत्र श्री गायासुद्दीन के नाम पर है। और सम्पूर्ण प्रथम और दिनांक 1987PTC029976) द्वितीय तल और साथ में खुली छत और साथ में 50% भूमि का कर्जदार / गारंटरः 30-09-2018 से अविभाजित, अविभाज्य और भूमि के नीचे के हिस्से में निहित फ्रीहोल्ड धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने 1. श्री मो. कामिल प्लस ब्याज एवं अधिकार, क्षेत्रफल ३३० वर्ग गज, सम्पत्ति नं. ७२, ब्लॉक नं. २०५बी, जिसे की अंतिम तारीख: 11-09-2019 2. श्रीमती नासिरा बेगम अब 22, सेंट्रल लेन कहते है, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती प्रभार इत्यादि 3. श्री मोहम्मद मोशिन नासीरा बेगम पत्नी श्री मो. कामिल के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर पूरब मे 4. श्री मोहम्मद जाकी – प्रोप. नं. 73 (मकान नं. 24), दक्षिण पश्चिम में – प्रोप. नं. 71 (मकान

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

फोन: 011-23441330, मो.- 9584317482, ई-मेल: armdel@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अवल

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभृति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्याभूत — दाता बैंक

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार

नं. 20), दक्षिण पूरब में — सर्विस लेन, उत्तर पश्चिम में — रोड

नोटः आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।

ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्ते

श्री मोहम्मद साबिर

यह विक्री निम्न नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। नीलामी-सह-चिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति हास होगी।

2. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को ज्ञामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे। 3. इच्छक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त

वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकत अधिकारी से सम्पर्क करें। प्रतिभत परिसम्पत्ति की बिक्की आरक्षित मृल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मृल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यनतम इन्क्रीमेन्टल राशि

से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 5. 10% धरोहर राशि (ईएमडी) का भूगतान विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधीलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष ऑकतानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/निधि अंतरण हारा किया जाएगा- खाता का नाम- प्राधिकृत

अधिकारी, बैक ऑफ बड़ौदा, एआरएम शास्त्रा, नई दिल्ली, खाता नं. 00950200000743, आईएफएससी कोड: BARB '0' CONNAU (जहां '0' शुन्य है।)

 ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net प उलेक सम्पत्त के समक्ष ऑकतानुसर निम्न दस्तावेजों को अपलोड करें क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण

ग) इच्छक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्व: प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा

घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पास्वर्ड जारी करने के लिए अनुरोध

इच्छूक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते हैं। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि. वी -704-5 वॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के विपरीत गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, सम्पर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा, 06351896834 ईमेल delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net श्री नितिश झा- 7982880393, हैल्पलाईन नं 079-61200595/520/548. हैल्पलाईन ई-मेल support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बधित किसी भी पूछताङ के लिए आप प्राधिकृत अधिकारी श्री वाई.पी. चावला, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बढ़ौदा, जेडओएसएआरबी, टेली नं. 011-23441330, मो. नं. 9584317482, ईमेल: armdel@bankofbaroda.com से किसी भी कार्य दिवस को कार्याविधि के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।

 केयल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमित दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पास्वर्ड एवं एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा। प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रह या स्थिगत या डिस्कंटीन्यु करने अथवा नीलामी की शतों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।

यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा 10. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मृल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किवा जाएगा। सफल बोलीदाता

को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में विक्री की मोषणा होने पर 25% क्रय मुल्य का भगतान करना होगा, अन्यथा इंएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी। 11. केवल 25% विक्री का भगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में विक्री की पृष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह विक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्ती तथा इस आशय के लिए प्रतिभृत क्रेडीटर की

12. यहां ऊपर क्रम सं. 10 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी हारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मृल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या

अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 13. यदि सभी लागतों, चार्जेंज तथा ऋगधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चें के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भूगतान कर दिया जाता

है तो कोई विक्री नहीं की जाएगी।

14. सभी सांविधिक देवताओं/ एटेन्डेन्ट चार्जेज/ पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।

15. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो। 16. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई-नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकावे के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

इच्छक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देवताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें। 17. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैंक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा इं-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकरिमकताओं के लिए

बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

 यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है। 19 ई-नीलामी से सम्बंधित जानकारी ई-नीलामी टैब (http://www.bankofbaroda.com/e-auction.htm) के तहत बैंक की वेब साइट के होम पेज पर उपलब्ध है।

20. किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी नोटिस अंतिम माना जायेगा।

epaper.jansatta.com

बैंक, यदि उपयुक्त समझे, किसी एक या अधिक संपत्तियों के लिए बोली कर सकता है। बोलीदाता स्वंय के हित में अंतिम मिनट तथा सैकंड्स की बोली से बचें। न ही बैंक अथवा सेवा प्रदाता किसी व्यवधान/ चुक (पावर फैल्यौर, इंटरनेट फैल्योर आदि) के लिए वेंडर की ओर से उत्तरदायी नहीं होंगे। इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सभी आवश्यक व्यवस्था/ विकल्पों जैसे पावर

के अनुसार ई-प्रापण अनुप्रचीग के लिए सिक्चोर्ड सॉकेट लेबर (एसएसएल) प्रमाण पत्र एन नए एल्गोरिध्म, SHA 2 पर निर्मित किया जाता है। साथ ही, इन प्लेटफार्म के लिए लागू होने वाले डिजीटल प्रमाण पत्र SHA 2 पर एल्गोरिथ्म अनुपालन होना चाहिए। इसके लिए युजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके संबंधित पीसी/ लैपटॉप में विंडोज XP (SP 3)/ विंडोज विस्टा/ विंडोज 7 संस्थापित हो। विंडोज XP सर्विस पैक-3 के मामले में यदि आपको कोई ईस्यु मिले, आप एसएसएल पैच संस्थापित कर सकते हैं जो हमारी ई-नीलामी पोर्टल के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है।

बैक अप आदि सुनिश्चित कर लें ताकि वे इस प्रकार की आकरिमकताओं से बच सकें तथा सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑधोरिटीज (सीसीए) द्वारा निर्गत नए इंटरपेरीबिलिटी गाइडलाइन्स

ऋणधारक/ गारंटर/ मार्टगेजर के लिए 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना एतद्द्वारा उपरोक्त ऋगधारकों/ गारंटरों को सुचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व संपूर्ण अद्यतन ब्याज सहित उपरोक्त राशि का भूगतान करें जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/ विक्री

कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ऋणधारकों/ गारंटरों से ब्याज तथा लागत के साथ वसुल किया जाएगा।

दिनांक : 26.08.2019, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

स्थानः दिल्ली

तिथि: 26 अगस्त, 2019

माहिन्द्रा फास्टनस लामटड

CIN: L74899DL1995PLC064215 पंजी. कार्यालय: 304, गुप्ता आर्केड, इन्दर एन्क्लेव, नई दिल्ली- रोहतक रोड, नई दिल्ली-110087 वेबसाईट: www.mohindra.asia, ई-मेल: cs@mohindra.asia, फोन: +91-11-46200400, 46200401, फैक्स: +91-11-25282667

25वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की जानकारी के लिये सूचना एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि: 1. कम्पनी के सदस्यों की 25वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शनिवार, 21 सितम्बर, 2019 को 11.30 बजे पूर्वा. में ली

पैसिफिक आउटडोर कैटरिंग बैंक्वेट, 31/35, मैन रोहतक रोड, पंजाबी बाग बेस्ट, मेट्रो पिलर नं. 142 के सामने, नई दिल्ली-110026 में आयोजित की जाएगी जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुपालन में व्याख्यात्मक विवरण के साथ 25वें एजीएम की सूचना तिथि 6 अगस्त, 2019 में वर्णित व्यबसायों को निष्पादित किया जायेगा। 2. वित्त वर्ष 2018-19 के अंकेक्षित वार्षिक विवरणों से शामिल वार्षिक रिपोर्ट, व्याख्यात्मक विवरण के साथ एजीएम की सूचन

स्वीकृत पद्धत्ति में उनके पंजीकृत पते पर सभी सदस्यों को भेज दी गई है। उसके लिये ई-मेल ऐसे सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी 'ज रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास दर्ज हैं। ये सभी दस्तावेज एनएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.mohindra.asia पर उपलब्ध है। जिन शेयरधारकों को वह प्राप्त नहीं हुआ हो, वे उसे ऊपर वर्णित वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा ईमेल आईडी cs@mohindra.aisa पर कम्पनी को उसकी प्रति के लिये अनुरोध भेज सकते हैं अथवा पंजीकृत कार्यालय में लिखित पत्र भेज सकते हैं। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण सोमवार, 26 अगस्त, 2019 को पूरा कर लिया गया है।

3. उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली तथा उसके परवर्ती संशोधनों तथा सेबी (एलओडीआर), विनियमनों, 2015 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी कट-ऑफ तिथि शनिवार, 14 सितम्बर, 2019 को भौतिक पद्धति या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों को मतदान करने के लिए ई–वोटिंग सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है तथा सदस्यगण एजीएम के किसी अन्यत्र स्थान से नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

i) ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः सोमवार, 16 सितम्बर, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. से ii) ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. से

iii) 20 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. के बाद ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी तथा उक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग उपलब्ध नहीं होगी।

iv) ऐसे सदस्यों जिन्हें 25वें एजीएम की सूचना, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी प्रपत्र प्रेषित की गई है, के सूची को निर्धारित करने की तिथि शुक्रवार, 16 अगस्त, 2019 थी।

v) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए तथा एजीएम में यदि स्वीकृत होता है, अंतिम लाभांश प्राप्त करने के सदस्यों की अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिए कट-ऑफ तिथि शनिवार, 14 सितम्बर, 2019 होगी। 4. स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में मतदान प्रक्रिया (मतपत्र के साथ ही साथ रिमोट ई–वोटिंग) का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी

ने श्री आनंद कुमार सिंह, मै. आनंद निमेश एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कम्पनी सचिव के पार्टनर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। 5. यदि कोई व्यक्ति सुचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 14 सितम्बर, 2019 को शेयरधारित करते हैं वे कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट अथवा एनएसडीएल से रिमोट ई-वोटिंग के लिये यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान लागिन आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

6. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में सदस्य के लिये उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा सदस्यों के लिये ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा एनएसडीएल से अधोलिखित टोल फ्री नं.: 1800-222-990 पर या ई-मेल आईडी: evoting.nsdl.co.in पर अथवा 304, गुप्ता आर्केड, इन्दर एन्क्लेव, दिल्ली-रोहतक रोड, नई दिल्ली-110087 में कम्पनी के कम्पनी सचिव, सम्पर्क नं, 011-46200400 अथवा cs@mohindra.asia पर अथवा कम्पनी के आरटीए अर्थात स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड से +91-11-40450193-97 पर सम्पर्क करें अथवा admin@skylinerta.com पर ई-मेल करें।

7. एजीएम स्थल पर केवल मत पत्र द्वारा मतदान करायी जायेगी तथा एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों, वे मत पत्र द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। एतदुद्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 (नियमावली सहित) के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें रविवार, 15 सितम्बर, 2019 से शनिवार, 21 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सिहत) तक 25वें एजीएम तथा एजीएम में यदि स्वीकृत होता है, लाभांश प्राप्त करने के अधिकृत होने वाले सदस्यों के नामों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे। बोर्ड के आदेश से

मोहिन्द्रा फास्टनर्स लिमिटेड के लिये

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

निधि पाठक

www.fslindia.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध वास्ते फ्रंटलाइन सिक्योरिटीज लिमिटेड

कम्पनी सचिव

तिथि : 26-08-2019